

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA



सत्यमेव जयते

दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-12022022-233362
SG-DL-E-12022022-233362

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 82]	दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 11, 2022/माघ 22, 1943	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 435
No. 82]	DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 11, 2022/MAGHA 22, 1943	[N. C. T. D. No. 435

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

गृह-1 (पुलिस) / स्थापना विभाग
अधिसूचना

दिल्ली, 11 फरवरी, 2022

सं0फा0 16 / 20 / 2020 / गृह-पुलिस- I / स्था0 / 3476-3482.—दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 (1978 का 34) की धारा 147 की उप-धारा- (1) तथा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली पुलिस (नियुक्ति एवं भर्ती) नियमावली, 1980 में आगे संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ :-

- (1) इन नियमों को दिल्ली पुलिस (नियुक्ति एवं भर्ती) (संशोधन) नियमावली, 2022 कहा जाएगा।
- (2) ये दिल्ली राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. संशोधन :-

उक्त नियमावली में, नियम 17-ख (xii) में, दिल्ली पुलिस संचार इकाई के ड्राफ्ट्समैन (प्रधान सिपाही) (अन्वेषक) पद के संबंध में है।

- (1) "वेतनमान" के संबंध में कॉलम में प्रविष्टि हेतु, निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्-

‘वेतनमान को वेतन मैट्रिक्स में’ — स्तर-4 (रुपये 25,500-81,100/-)

(2) “यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है।” के संबंध में कॉलम के सामने प्रविष्टि हेतु, निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्—

‘विभागीय स्थायीकरण समिति’ (स्थायीकरण पर विचारार्थ)

- (i) एक पुलिस उपायुक्त (अध्यक्ष)
- (ii) दो पुलिस सहायक आयुक्त (सदस्य)
(संबंधित जिलों/इकाईयों से)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

पवन कुमार, उप-सचिव (गृह-1)

टिप्पणी : दिनांक 31.12.1980 के दिल्ली राजपत्र अधिसूचना एफ.10/52/80-गृह (पुलिस)/स्था0 द्वारा दिल्ली पुलिस (नियुक्ति एवं भर्ती) नियमावली, 1980 के प्रधान नियमों में मूल नियम 17-ख (xii) को सन्निविष्ट किया गया तथा दिनांक 31.07.1986 को दिल्ली राजपत्र की अधिसूचना एफ.10/52/80-गृह (पुलिस)/स्था0 द्वारा संशोधित किया गया एवं दिल्ली पुलिस (नियुक्ति एवं भर्ती) नियमावली, 2013 में दिनांक 08.01.2013 को दिल्ली राजपत्र की अधिसूचना सं0फ0.13/19/2003/गृह पुलिस-1/स्था0/6675-6680 द्वारा आगे संशोधित किया गया।

HOME -1 (POLICE) / ESTABLISHMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 11th February, 2022

AUTHENTICATED
(NITYANAND RAI)
Minister of Home Affairs
Govt. of India
North Block, New Delhi

No. F.16/20/2020/HP-I/Estt./3476-3482.—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 147 of Delhi Police Act, 1978 (34 of 1978), the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to make the following Rules further to amend the Delhi Police (Appointment and Recruitment) Rules, 1980, namely:-

1. Short title and commencement:-

- (1) This Rule may be called the Delhi Police (Appointment and Recruitment) (Amendment) Rules, 2022.
- (2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Delhi Gazette.

2. Amendments:-

In the said Rules, in Rule 17-B (xii), relating to the post of Draftsman (Head Constable) (Tracer) of Communication Unit in Delhi Police.

- (1) For the entry in the column, relating to the “Scale of Pay”, the following entry shall be substituted, namely:-
‘Pay Level in the Pay Matrix’ --- Level-4 (Rs. 25,500-81,100/-).
- (2) For the entry against the column, relating to the “If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition”, the following entry shall be substituted, namely:-

‘Departmental Confirmation Committee’ (for considering confirmation)

- (i) One Deputy Commissioner of Police (Chairman)
- (ii) Two Assistant Commissioners of Police (Members)
(From the districts/units concerned)

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,
PAWAN KUMAR, Dy. Secy. (Home-1)

Note: The original rule 17-B (xii) was inserted in the Principal Rule of Delhi Police (Appointment & Recruitment) Rules, 1980 vide Delhi Gazette F.10/52/80-Home(Police)/Estt. dated 31.12.1980 and amended vide Delhi Gazette

Notification No. F.5/46/84-Home(P)/Estt. dated 31.07.1986 and further amended vide Delhi Gazette Notification No. F.13/19/2003/HP-1/Estt./6675-6680 dated 08.01.2013 in Delhi Police (Appointment & Recruitment) (Amendment) Rules, 2013.